



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, MONDAY, JUNE 21, 2010 (JYAISTHA 31, 1932 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 21 जून, 2010

संख्या सी०सी०पी०(एन०सी०आर०)/एफ०बी०डी०-टिकरी-झोपुर-एम०एच०एल०ए०/सी०ए०/2010/2376.—चूंकि, सरकार की राय में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा उससे संलग्न योजना में दर्शाए गए क्षेत्र, भवन गतिविधियों तथा अनियमित विकास के लिए संभाव्य है:

इसलिए, अब, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त क्षेत्रों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियन्त्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात्:—

अनुसूची

गांव टिकरी खेड़ा (हदबस्त संख्या 31), जाखोपुर (हदबस्त संख्या 36), फिरोजपुर कलां (हदबस्त संख्या 41), ओली (हदबस्त संख्या 37), लुधियापुर (हदबस्त संख्या 38), कबूलपुर बांगड़ (हदबस्त संख्या 39) तथा माहोला (हदबस्त संख्या 46), जिला फरीदाबाद के नियन्त्रित क्षेत्र की अनुसूची की ड्राईंग संख्या डी०टी०पी०(एफ०) 2628/2010, दिनांक 10 फरवरी, 2010 के साथ पढ़ा जाए।

उत्तर : बिन्दु 'ए' से प्रारम्भ करते हुए जो कि गांव टीकरी खेड़ा (हदबस्त संख्या 31) की आयत संख्या 1 का उत्तर-पश्चिम कोना है तत्पश्चात् पूर्व की ओर पहले से घोषित हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या एफ०सी०ए० एस०टी०पी०/89/पी०-46/1197, दिनांक 17 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित की सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'बी' तक जो कि गांव फिरोजपुर कलां (हदबस्त संख्या 41) की आयत संख्या 14 का उत्तर-पूर्व कोना है।

पूर्व : तत्पश्चात् बिन्दु 'बी' से दक्षिण की ओर पहले से घोषित हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या 12869-10/डी०पी०-82/3528, दिनांक 3 मार्च, 1982 द्वारा प्रकाशित की सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'सी' तक जो कि गांव माहोला (हदबस्त संख्या 46) की आयत संख्या 58 का उत्तर-पूर्व कोना है।

- दक्षिण :** तत्पश्चात् बिन्दु 'सी' से होते हुए दक्षिण की ओर जिला पलवल की पूर्व तथा दक्षिण जिला सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'डी' तक जो कि गांव माहोला (हदबस्त संख्या 46) की आयत संख्या 43 का दक्षिण-पश्चिम कोना है।
- पश्चिम :** तत्पश्चात् बिन्दु 'डी' से होते हुए उत्तर की ओर जिला गुड़गांव की जिला सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'ए' तक जो कि प्रारम्भिक बिन्दु है।



डी० एस० डेसी,

वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 21st June, 2010

No. CCP(NCR)/FBD-TIKRI-JHOPUR-MHLA/CA/2010/2376—Whereas, in the opinion of the State Government, the area specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, has the potential for building activities and haphazard development;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the said area to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely :—

Schedule

Schedule of boundary controlled area of village Tikri Khara (Hadbast number 31), Jakhopur (Hadbast number 36), Ferozpur Kalan (Hadbast number 41), Auli (Hadbast number 37), Ludhiapur (Hadbast number 38), Kabulpur Bangar (Hadbast number 39) and Mahola (Hadbast number 46), District Faridabad to be read with the Drawing No. DTP(F) 2628/2010, dated the 10th February, 2010.

- North :** Starting from point 'A' i.e. north-west corner of rectangle number 1 of village Tikri Khara (Hadbast number 31) thence towards east along the already declared controlled area boundary vide Haryana Government Gazette Notification No. FCA/STP/89/P-46/1197, dated the 17th June, 1989 upto point 'B' i.e. north-east corner of rectangle number 14 of village Ferozpur Kalan (Hadbast number 41).
- East :** Thence moving from point 'B' towards south along the already declared controlled area boundary vide Haryana Government Gazette Notification No. 12869-10DP-82/3528, dated the 3rd March, 1982 upto point 'C' i.e. north-east corner of rectangle number 58 of village Mahola (Hadbast number 46).
- South :** Thence moving from point 'C' towards south along the east and south District Boundary of District Palwal upto point 'D' i.e. south-west corner of rectangle number 43 of village Mahola (Hadbast number 46).
- West :** Thence moving from point 'D' towards north along the District Boundary of District Gurgaon upto point 'A' i.e. point of start.

D. S. DHESI,

Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana, Town and Country Planning Department.